

महेश रतिलाल शाह

बनाम

भारत संघ वगैरा

(विशेष अनुमति याचिका (सी) नम्बर 21686/2006)

19 जनवरी, 2010

**(अल्टिमस कबीर और साइरियक जोसेफ, जे.जे.)**

धारा 4 प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 के तहत इसकी मान्यता से पहले बनाये गये बाम्बे स्टोक एक्सचेंज के नियमों व उपनियमों के प्रकाशन की अनुपस्थिति इसकी गतिविधियों को अवैध और प्राधिकरण के बिना नहीं बनायेगी।

धारा 7 और 9- का अनुपालना करना - नकली और फर्जी शेयर की सूची बनाना याचिकाकर्ता का दावा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने शेयरों के फर्जी लेनदेन में शामिल एक कंपनी के शेयरों को सूचीबद्ध करने में प्रतिभूति बाजार और निवेशकों के हितों के विरुद्ध काम किया, उक्त शेयरों को सूचीबद्ध करने में बीएसई की ओर से किसी भी गुप्त उद्देश्य को स्थापित करने के लिये कुछ भी नहीं है- उक्त स्क्रीप को अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद बीएसई पर सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली कि उक्त कंपनी अपने स्क्रीप के फर्जी

सौदे में शामिल थी, उक्त स्क्रिप को डिलिस्ट कर दिया गया और ट्रेडिंग से बीएसई द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया इस प्रकार बीएसई या उसके सदस्यों द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि बीएसई और उसके सदस्यों ने उन्हें प्रेस्टो के 4,50,800 शेयर खरीदने के लिये प्रेरित किया फाईनेन्स लिमिटेड और बीएसई के आश्वासन के तहत उसने सम्पूर्ण खरद राशि 71.19 लाख रुपये जमा कर दिये। याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह था कि एसएसई और इसके सदस्यों ने जानबुझ कर उसे धोखा दिया। उसे जाली शेयर प्रमाण पत्रों की डिलीवरी दी और उक्त डील को रद्द करने से इंकार कर दिया और इसके बजाय याचिका कर्ता को हर्जाने का दावा करने के लिये प्रेस्टो फाईनेन्स लिमिटेड के परिसमापक के पास जाने के लिये कहा उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भारत संघ पर एक निर्देश के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 के धारा 7 और 9 के प्रावधानों का कथित गैर अनुपालन करने के कारण सेबी बीएसई को दी गई मान्यता वापस ले रद्द करने के लिये आगे का निर्देश भी मांगा गया। बीएसई के सभी प्रासंगिक 90 सदस्यों का सेबी पंजीकरण जाली शेयरों में व्यापार करने के लिये निवेशकों को धोखाधड़ी से प्रेरित करना मिस प्रेस्टो फाईनेन्स लिमिटेड के और नियमों की घोषणा करने के लिये बीएसई के कानून और विनियम अवैध शुन्य और अतिरेकपूर्ण होने के कारण यहा

1956 का अधिनियम और भारत का संविधान भी लागू होता है। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए रिट याचिका को खारीज कर दिया। कंपनी के खिलाफ बहुत पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गई थी 1985-99 में सेबी अधिनियम की धारा 11 बी के तहत निष्कर्ष यह निकला कि कंपनी के सभी निदेशक नकली और फर्जी शेयरों में लेनदेन के दोषी थे और बड़े पैमाने पर निवेश करने वाली जनता को धोखा दिया। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि बाजार नियामक ने उचित कदम उठाये। व्यक्तिगत लेनदेन के मामले में और याचिकाकर्ता जो विचाराधीन कंपनी के प्रवर्तक के कृत्यों से व्यथित था साथ ही इसके निदेशकों को अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिये उचित न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बीएसई या उसके नियम उपनियम विनियमों को अवैध शून्य और अधिकारातीत घोषित करने के लिये या मान्यता रद्द करने के लिये निर्देश जारी करने की मांग को लेकर कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

वर्तमान एसएलपी में विचार के लिये जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और उपयुक्तों के प्रकाशन के अभाव में जो कि 1956 अधिनियम में इसकी मान्यता से पहले बनाये गये थे, इसकी गतिविधियों को बिना अधिकार के कहा जा सकता है और क्या मैसर्स के शेयरों को सूचीबद्ध करने में स्टॉक एक्सचेंज पर प्रेस्टो फाईनेन्स लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसे तरीके से काम लिया था जो कि

निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और निवेशकों की सुरक्षा करने में विफल रहा।

न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारीज की गयी। अभिनिर्धारित किया गया

1. याचिकाकर्ता ने प्रेस्टो फाईनेन्स लिमिटेड के शेयर की लिस्टिंग और इसके बाद डिलिस्टिंग के संबंध में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से दुर्भावना या अनियमितता का कोई मामला नहीं बनाया। स्टॉक के नियमों व उपनियमों का प्रकाशन प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 में विनियम का इरादा नहीं था अन्यथा अधिनियम में पूर्व मान्यता नियमों और उपनियमों के संबंध में कुछ प्रावधान किये गये होते जबकि अधिनियम नियमों में संशोधन के प्रकाशन का प्रावधान करता है और मान्यता प्रदान करने के बाद उपविधि, यह अधिनियम मान्यता पूर्व नियमों या उपविधि के प्रकाशन के संबंध में चुप है जो पहले से अस्तित्व में थे और जिन पर पहले से ही कार्यवाही की गई थी। (पैरा 25) (799-जी.एच; 800-ए-सी)

2. मैसर्स प्रेस्टो फाईनेन्स लिमिटेड का शेयर अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली कि उक्त कंपनी अपने शेयरों के फर्जी सौदे में शामिल है। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज से फिर से जानकारी मिली कि शेयर को बीएसई द्वार डिलिस्ट किया गया और कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उस तरीक से काम

नहीं किया जिससे मैसर्स के शेयर को बढ़ावा मिले। किसी भी गलत इरादे से प्रेस्टो फाईनेन्स लिमिटेड। इसके अलावा उक्त स्क्रिप्ट में लेनदेन पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में दस साल की देरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए लम्बे समय से चले आ रहे फैसले में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में, लोगो ने पहले से ही इसके अनुसार अपना व्यवसाय व्यवस्थित कर लिया है। इन आरोपों को छोड़कर कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मैसर्स के शेयर को सूचीबद्ध करने में ऐसे तरीके से काम किया था जो प्रतिभूति बाजार व निवेशकों के हित के विरुद्ध था। ट्रेडिंग के लिये प्रेस्टो फाईनेन्स लिमिटेड, उक्त स्क्रिप्ट को सूचीबद्ध करने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से किसी भी गुप्त उद्देश्य को स्थापित करने के अलावा और कुछ नहीं है और वास्तव में, उपचारात्मक उपायों के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज ने उन सभी को भी आमंत्रित किया था जिन्हें जाली दी गई थी स्क्रिप्ट को आगे की कार्यवाही के लिये स्टॉक एक्सचेंज में जमा करना होगा।

राज नरेन पाण्डे और वगैरा बनाम संत प्रसाद तिवारी और वगैरा. (1973)  
2 एससीसी 35, पर निर्भर.

3. चूंकि उक्त नियम और उपनियम प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के लागू होने और स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देने से बहुत पहले अस्तित्व में थे, इसलिये इसे धारा 4 के संदर्भ में प्रकाशन की

आवश्यकता नहीं थी। मान्यता प्रदान करने के बाद किये गये नियमों व उपनियमों में सभी संशोधनों को राजपत्रों में विधिवत् प्रकाशित किया गया था।

रितेश अग्रवाल बनाम सेबी (2008) 8 एससीसी 205; स्टॉक एक्सचेंज मुम्बई बनाम विजय बुबना और वगैरा. 1999 (2) एलजे 289; डाॅ. इन्द्रमणी प्यारेलाल गुसा ओर वगैरा बनाम डब्ल्यू.आर. नाटु और वगैरा. एआईआर 1964 एससी 274; वी.वी. रूईया बनाम एस. डालमिया एआईआर 1968 बॉम्बे 347 पर निर्भर.

4. भले ही 1956 के अधिनियम में पूर्व मान्यता नियमों और उपकानुनों के प्रकाशन पर विचार नहीं किया गया था लेकिन यदि संशोधित नियमों और उपकानुनों को आधिकारीक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तो स्थिति अभी भी अस्पष्ट बनी रहेगी। कानून अप्रकाशित रहते हैं इसलिये इस विशेष अनुमति याचिका में उठाये गये समान प्रश्नों को उठाने से रोकने के लिये उक्त नियमों और उपनियमों को आधिकारीक राजपत्र और राज्य राजपत्र में भी प्रकाशित करना उचित हो सकता है। (पैरा 27) (800-डी-ई)

#### कैस कानून के संदर्भ:

(2008) धारा 205 में	संदर्भित करता है	पैरा 8
1999 (2) एलजे 289	संदर्भित करता है	पैरा 12
एआईआर 1964 एससी 274	संदर्भित करता है	पैरा 12

एआईआर 1968 बॉम्बे 347 संदर्भित करता है पैरा 12

(1973) 2 एससीसी 35 पर निर्भर है पैरा 15

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: एसएलपी (सिविल) संख्या 21686/2006

बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुम्बई के सिविल रिट याचिका नम्बर 429/2006 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.03.2006 से याचिकाकर्ता की ओर से मनोहर लाल शर्मा, मुश्ताक अहमद.

उत्तरदाताओं की ओर से श्याम दिवान, प्रताप वेणुगोपाल, दिप्ती, पुरुषोत्तम झा, एंजेली गुप्ता ( के.जे. जॉन एण्ड कंपनी के लिये) जयदीप गुप्ता, सुरुची

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया किया गया

**अल्लमस कबीर, जे. 1.** बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ;इसके बाद BSE के रूप में संदर्भित के सदस्य योगेश बी मेहता के साथ सब ब्रोकर होने का दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। भारतीय संघ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बाद में इसे सेबी के रूप में संदर्भित किया जाएगा और बीएसई के खिलाफ अन्य बातों के साथ साथ कथित गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए बीएसई को दी गई मान्यता वापस लेने के लिए भारत संघ और सेबी को निर्देश देने की मांग की गई है। प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 इसके बाद 1956 अधिनियम के रूप में संदर्भित की धारा 7 और 9 के प्रावधानों का अनुपालन। मेसर्स प्रेस्टो

फाइनेंस लिमिटेड के जाली शेयरों में व्यापार करने के लिए निवेशकों को धोखाधड़ी से प्रेरित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के सभी प्रासंगिक 90 सदस्यों के सेबी पंजीकरण को रद्द करने और नियमों उप कानूनों और विनियमों की घोषणा करने के लिए एक और निर्देश भी मांगा गया था। बीएसई ने 1956 के अधिनियम और भारत के संविधान को अवैध शून्य और अधिकारों के अधिकार से बाहर बताया। मुख्य राहतों से जुड़ी विभिन्न सहायक और अंतरिम राहतों की भी प्रार्थना की गई।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे बीएसई और उसके सदस्यों द्वारा प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के 4,50,800 शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया गया था और एक्सचेंज के आश्वासन के तहत उन्होंने एक्सचेंज के साथ पूरी खरीद राशि 71,19,817.30 रुपये जमा कर दी थी। याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि एक्सचेंज और उसके सदस्यों ने जानबूझकर उसे 1,56,100 जाली शेयर प्रमाणपत्रों की डिलीवरी देकर धोखा दिया था और जब इसका पता चला तो उक्त सौदे को रद्द करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय याचिकाकर्ता को जाने के लिए कहा। हर्जाने का दावा करने के लिए प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के परिसमापक।

3. विशेष अनुमति याचिका के समर्थन में उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री मनोहर लाल शर्मा ने प्रस्तुत किया कि सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है इसके बाद इसे सेबी रूप में संदर्भित किया जाएगा सेबी



अधिनियम को अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और ऐसे उपायों के द्वारा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने का अधिकार दिया गया था जो इससे संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार अभ्यास को प्रतिबंधित करने के लिए उपयुक्त समझा गया था। प्रतिभूति बाजार।

4. श्री शर्मा ने आगे कहा कि बीएसई व्यक्तियों का एक निकाय है जिसे 1956 अधिनियम की धारा 4 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करने के लिए धारा 9 के प्रावधानों के अधीन है। बम्बई सेबी अधिनियम की धारा 12 के तहत सेबी ने बीएसई के सदस्यों को उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के दायरे में देश में प्रतिभूति बाजार में सौदा करने के लिए पंजीकरण प्रदान किया है। श्री शर्मा ने कहा कि बीएसई का मुख्य उद्देश्य दलालों और डीलरों तथा प्रतिभूतियों में रुचि रखने वाली जनता दोनों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए बीएसई टर्मिनल के माध्यम से शेयरों के व्यापार और निपटान के लिए बीएसई द्वारा नियम उपनियम और विनियम तैयार किए गए थे। श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया कि उक्त नियम उपनियम और विनियम 1956 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थे और इसलिए अधिनियम और संविधान के दायरे से बाहर थे। इसलिए रिट याचिकाकर्ता को यहां ऊपर बताई गई राहतों के लिए अन्य बातों के साथ

साथ अपने रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

5. मेसर्स प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के प्रॉस्पेक्टस का जिक्र करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि चूंकि इसमें यह संकेत दिया गया था कि प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों को अहमदाबाद और क्षेत्रीय एक्सचेंज दोनों में सूचीबद्ध किया जाना था। बीएसईए याचिकाकर्ता और अन्य निवेशकों को कंपनी के शेयरों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था, जिन्हें अंततः धोखाधड़ी वाले लेनदेन के कारण दोनों स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार से डिलिस्ट कर दिया गया था जिससे याचिकाकर्ता के पास बड़ी संख्या में जाली शेयर रह गए थे जिनका कारोबार किया गया था। कंपनी बीएसई सेण्ट्रल श्री शर्मा ने आग्रह किया कि बीएसई निवेशकों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहा है क्योंकि यह 1956 अधिनियम की धारा 4 के तहत ऐसा करने के लिए बाध्य था।

6. श्री शर्मा ने तर्क दिया कि बीएसई के अस्तित्व और इसकी गतिविधियों को इसकी शुरुआत से ही दूषित माना जाना चाहिए क्योंकि यह मान्यता प्रदान करने से संबंधित 1956 के अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्टॉक एक्सचेंज और विशेष रूप से उसकी उपधारा (3) जो इस प्रकार है .

"4(3) इस धारा के तहत स्टॉक एक्सचेंज को दी जाने वाली प्रत्येक मान्यता भारत के राजपत्र में और उस राज्य के

आधिकारिक राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी जिसमें स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य कार्यालय स्थित है और ऐसी मान्यता होगी भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।"

7. श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया कि चूंकि बीएसई को दी गई मान्यता न तो भारत के राजपत्र में या राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई है इसलिए ऐसी मान्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उपरोक्त के अलावा इसके बाद से मान्यता बीएसई ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान का भी अनुपालन नहीं किया है और सेबी की पिछली मंजूरी के साथ अनुबंधों के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपनियम तैयार किए हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 9 की उपधारा (4) भी उपनियमों के प्रकाशन का प्रावधान करती है और इस प्रकार है.

"9(4) इसके अंतर्गत बनाए गए कोई भी उपनियम अनुभाग इस प्रकार के अधीन होगा पूर्व के संबंध में शर्तें भारत के राजपत्र में और जहां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का प्रधान कार्यालय स्थित है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित और अनुमोदित होने पर

प्रकाशन और भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

बशर्ते कि यदि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सरकार किसी भी मामले में संतुष्ट है कि व्यापार के हित में या सार्वजनिक हित में कोई उप.कानून तुरंत बनाया जाना चाहिए तो वह इसके कारणों को निर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश द्वारा छूट दे सकती है। पिछले प्रकाशन की शर्त के साथ।

8- रितेश अग्रवाल बनाम सेबी [(2008) 8 एससीसी 205] में इस न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए जिसमें सवाल था कि क्या अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के मद्देनजर नाबालिगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए। विचाराधीन इस न्यायालय ने माना कि चूंकि नाबालिगों के पिता ने उनके नाम पर धोखाधड़ी की थी इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाई की जानी चाहिए थी। श्री शर्मा ने आग्रह किया कि एक बार जब यह दिखाया गया कि एक प्रमोटर ने एक्सचेंज के साथ अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने में धोखाधड़ी की है जिससे निवेशकों को ऐसे शेयरों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया है तो यह माना जाना चाहिए कि एक्सचेंज अनुपालन करने में विफल रहा है

1956 अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ए) के प्रावधानों जो यह अनिवार्य बनाते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के नियम और उपनियम ऐसी शर्तों के अनुरूप होने चाहिए जिन्हें एक दृष्टि से निर्धारित किया जा सकता है। निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना और निवेशकों की सुरक्षा करना जोर दिया गया।

9- बीएसई की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि बीएसई सहित सभी स्टॉक एक्सचेंजों ने देश के अन्य स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्य किया। मौजूदा मामले में चूंकि प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड की स्क्रिप को अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया था इसलिए इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेकिन जैसे ही पूर्व स्टॉक से धोखाधड़ी की जानकारी प्राप्त हुई एक्सचेंज बीएसई ने तुरंत उक्त स्क्रिप में कारोबार बंद कर दिया। श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता ने घटना के दस साल बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था जो अपने आप में रिट याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार था।

10- श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि बीएसई की स्थापना 1875 में द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी और यह देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने 1956 अधिनियम के तहत भारत सरकार से 1956 में स्थायी मान्यता प्राप्त की थी। भारतीय पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीएसई को दी गई मान्यता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अपने स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन में 31 अगस्त 1957 के भारत के राजपत्र में विधिवत प्रकाशित की गई थी। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज नियम उपनियम और विनियम तैयार किए गए थे। 1957 और उसका अग्रिम प्रिंट आज तक के सभी संशोधनों के साथ भारत सरकार को भेजा गया था। 1956 के अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा इसकी प्राप्ति और अनुमोदन को वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग के उप सचिव द्वारा 1 मई 1959 को अपने पत्र द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के सचिव को भी सूचित किया गया था। श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और विनियमों और उपकानूनों पर तब से कार्रवाई की गई है जब से उन्हें तैयार किया गया है और याचिकाकर्ता ने योगेश मेहता के माध्यम से एक सबब्रोकर के रूप में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने का भी दावा किया है। स्टॉक एक्सचेंज का सदस्यण् श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि जब नियमों उपनियमों और विनियमों पर 50 से अधिक वर्षों से लगातार कार्य किया जा रहा है तो यह मानना असमान होगा कि वे आधिकारिक राजपत्र या राजपत्र में गैर

प्रकाशन के कारण वैध नहीं थे। 1956 अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के संदर्भ में भारत के।

11. श्री दीवान ने तब आग्रह किया कि स्टॉक एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित 1956 अधिनियम की धारा 4 की योजना यह स्पष्ट करती है कि मान्यता प्रदान करने से पहले केंद्र सरकार को नियमों और उपनियमों से संतुष्ट होना होगा पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले स्टॉक एक्सचेंज ऐसी शर्तों के अनुरूप थे जो निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और निवेशकों की सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित की जा सकती हैं। श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि 1956 अधिनियम की धारा 9 के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को अनुबंधों के विनियमन और नियंत्रण के लिए उप.कानून बनाने की आवश्यकता है और उक्त धारा के तहत बनाया गया कोई भी उप कानून पिछले के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन होगा। प्रकाशन जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और सेबी द्वारा अनुमोदित होने पर ए भारत के राजपत्र में और उस राज्य के आधिकारिक राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाना है जिसमें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख कार्यालय स्थित है और उसी प्रकार प्रभावी होगा भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख।

12- श्री दीवान ने दोहराया कि उपरोक्त से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 4 के तहत मान्यता प्रदान करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों को उपधारा (3) में बताए गए

तरीके से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी। 1956 अधिनियम की धारा 4 के श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि मान्यता प्रदान करने के बाद केवल नियमों और उपनियमों में किए गए संशोधनों को उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रकाशन की आवश्यकता होगी। श्री दीवान ने यह भी आग्रह किया कि चूंकि बीएसई भारत में शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि इसे 1956 में स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। इसलिए पिछले 33 वर्षों में इसके प्रदर्शन को कमजोर नहीं किया जा सकता है और विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा मामला बनाने की मांग की गई। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालाँकि जिस प्रश्न को अब उठाया जाना है वह इस न्यायालय में किसी भी समय नहीं उठाया गया था। वही प्रश्न मध्यस्थता याचिका संख्या से उत्पन्न अपील संख्या 1101/98 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष उठा था। [130/98 स्टॉक एक्सचेंज] मुंबई बनाम विजय बुबना और अन्य] 1999 में रिपोर्ट किया गया (2) एलजे 289. उक्त निर्णय में, जहां प्राथमिक मुद्दा था क्या बीएसई द्वारा 1956 अधिनियम के तहत बनाए गए उपनियमों के तहत गठित एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 10 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। सवाल यह उठा कि क्या बीएसई के उक्त उपनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक। बीएसई के उपनियमों के प्रावधानों के निर्माण और डॉ. इंद्रमणि प्यारेलाल गुप्ता एवं अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर।



बनाम डब्ल्यूएनआरएन नातू एवं अन्य। एआईआर 1964 एससी 274, उच्च न्यायालय ने माना कि बीएसई के उपनियम अधीनस्थ कानून थे और वे वैधानिक प्रकृति के थे और धारा 2 की उपधारा (4) के अर्थ के भीतर अधिनियमन की शक्ति रखते थे। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996। श्री दीवान ने हमारा ध्यान फैसले के पैराग्राफ 42 की ओर आकर्षित किया जिसमें वीणवीण के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले का संदर्भ दिया गया था। रुइया बनाम एस डालमिया खूएआईआर 1968 बॉम्बे 347, जहां यह सवाल उठा कि क्या बीएसई के उपनियम जो धारा 4 के तहत इसकी मान्यता से पहले बनाए गए थे को धारा की उप.धारा ;4 द्ध के तहत प्रकाशन की आवश्यकता है। 1956 अधिनियम के 9 यह माना गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपनी मान्यता से पहले बनाए गए उपनियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता नहीं थी, इस तथ्य के कारण कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज को यह करना आवश्यक था। उपविधि एवं नियमों की प्रति प्रस्तुत करें तथा उसकी जांच के बाद ही धारा 4 के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि मान्यता के बाद अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कोई उपविधि बनाई गई है तो ए धारा 9 की उपधारा (4) के आधार पर ऐसे मान्यता उपरांत उपविधि का प्रकाशन आवश्यक है।

13. इसके बाद श्री दीवान ने विण्विण् के फैसले का हवाला दिया। रुइया का मामला (सुप्रा) उपरोक्त फैसले में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा संदर्भित किया गया था जिसमें यह माना गया था कि 1956 में अपनी मान्यता से पहले स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बनाए गए उपनियमों को धारा 9 के तहत प्रकाशन की आवश्यकता नहीं थी ( 4) 1956 अधिनियम के.

14- श्री दीवान का अगला तर्क यह था कि एक प्रक्रिया जिसका लंबे समय से लगातार पालन किया जा रहा था में बहुत ही अनिवार्य कारणों को छोड़कर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे अन्यथा अराजकता पैदा हो सकती है और उस अवधि में तय की गई स्थिति अस्थिर हो सकती है.

15- राज नारायण पांडे और अन्य में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए। बनाम संत प्रसाद तिवारी एवं अन्य [(1973) 2 एससीसी 35], श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि घूरने के निर्णय के सिद्धांत की व्याख्या करते समय इस न्यायालय ने माना था कि लंबे समय तक चलने वाला एक निर्णय जिसके आधार पर कई व्यक्तियों ने समय के साथ व्यवस्था की होगी उनके मामलों को किसी उच्च न्यायालय द्वारा हल्के ढंग से परेशान नहीं किया जाना चाहिए जो निर्णय से सख्ती से बंधे नहीं हैं। आगे यह देखा गया कि स्थानीय कानून की व्याख्या के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कई वर्षों से अपनाए गए दृष्टिकोण का आम तौर पर पालन किया जाना चाहिए और परेशान नहीं

किया जाना चाहिए। एक अलग दृष्टिकोण न केवल अनिश्चितता और भ्रम का तत्व पेश करेगा बल्कि उन निर्णयों के विश्वास पर किए गए लेनदेन को अस्थिर करने का भी प्रभाव डालेगा। यह माना गया कि ऐसी स्थिति में घूरने के निर्णय के सिद्धांत को उपयुक्त रूप से लागू किया जा सकता है।

16. देरी और चूक के दोषी होने के अलावा श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बीएसई का पंजीकृत सबब्रोकर न होने के कारण स्वयं चूककर्ता था हालांकि उसने योगेश बी मेहता का सबब्रोकर होने का दावा किया था। स्टॉक एक्सचेंज का सदस्यण् श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि विशेष अनुमति याचिका कानून में द्वेष से भरी हुई है और इसलिए जुर्माने के साथ खारिज करने योग्य है।

17. सेबी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री जयदीप गुप्ता ने हमें अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की ओर से श्री एल. के. को संबोधित 1 अगस्त 1996 के पत्र के बारे में बताया। सिंघवीए कार्यकारी निदेशकए सेबी ने उन्हें प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के मामले में समिति की रिपोर्ट की जानकारी दी। उक्त पत्र में यह संकेत दिया गया था कि प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों में निवेशकों से प्राप्त कई शिकायतों के आधार परए सेबी और एक नामांकित जन प्रतिनिधि सहित तीन सदस्यों वाली एक विशेष समिति का गठन किया गया था और जांच के बाद उसने सिफारिश की थी कि प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों में व्यापार की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए और इसे स्थायी रूप से डीलिस्ट किया जा सकता है। श्री

जयदीप गुप्ता ने सहायक पुलिस निरीक्षक सामान्य शाखाए अपराध शाखाए सीण्आईण्डीण् मुंबई की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया जो विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 33 वीं अदालतए बैलार्ड एस्टेट मुंबई को सौंपी गई थीए जिसमें कहा गया था कि बीएसई ने तुरंत और लगन से कार्रवाई की थी। बाजार के हितों की रक्षा करें और इस प्रकार बीएसई और उन लोगों द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया जो 1996 में प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों के लेनदेन में शामिल थे। यह कहा गया कि इसके विपरीतए शिकायतकर्ता एक पंजीकृत उप नहीं था .बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दलाल और उसने स्वयं 1956 अधिनियम की धारा 23 (एच) के प्रावधानों का उल्लंघन किया थाए क्योंकि उसने बीएसई के साथ पंजीकृत हुए बिनाए उप.दलाल के रूप में उपरोक्त लेनदेन भी निपटाया था।

18. श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि मेसर्स के नकली और जाली शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में विभिन्न निवेशकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर। प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेडए स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद ने जैसा कि ऊपर बताया गया हैए एक विशेष समिति का गठन किया था और कंपनी के प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों को अनियमितताओं का दोषी पाया था। तदनुसारए सेबी अधिनियमए 1992 की धारा 11बी के तहत एक कार्यवाही मेंए सेबी ने कंपनी के नकली और जाली शेयर जारी करने के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। श्री गुप्ता ने बताया कि इस तरह

के निष्कर्ष पर प्रतिभूतियों और प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हित में सेबी ने श्री हितेंद्र वासा और उनके द्वारा प्रवर्तित कंपनियों और मेसर्स की समूह कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया था। प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड को 22 अप्रैल 1998 से पांच साल की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया।

19. श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक सेबी का सवाल है मेसर्स द्वारा जारी किए गए धोखाधड़ी वाले शेयर स्क्रिप के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर। प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड सेबी द्वारा उक्त कंपनी के शेयर शेयरों को अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डी.लिस्ट करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए थे।

20. श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों को सूचीबद्ध करने में बीएसई में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है क्योंकि इसे पहले अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन जैसे ही अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज से जानकारी प्राप्त हुई। इसमें धोखाधड़ी का एक तत्व शामिल था, और शेयरों को अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट कर दिया गया था, बीएसई ने प्रतिभूति बाजार और ऐसे शेयरों में कारोबार करने वाले निवेशकों की सुरक्षा के लिए शेयरों को डीलिस्ट करने और उक्त शेयरों का कारोबार बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाए। प्रतिभूतियाँ। श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप किसी भी

योग्यता से रहित थे और इन कार्यवाही में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

21. जैसा कि संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों और प्रस्तुतियों से स्पष्ट होगा, मुख्य प्रश्न जिस पर हमें विचार करने के लिए कहा गया है वह यह है कि क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और उपनियमों के प्रकाशन के अभाव में जो 1956 में इसकी मान्यता से पहले 1956 अधिनियम के तहत इसे तैयार किया गया था इसकी गतिविधियों को बिना अधिकार के कहा जा सकता है। आगे का प्रश्न जो विचाराधीन है वह यह है कि क्या यह कहा जा सकता है जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि मेसर्स के शेयरों को सूचीबद्ध करने में। स्टॉक एक्सचेंज पर प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसे तरीके से काम किया था जो निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और निवेशकों की सुरक्षा करने में विफल रहा।

22. जैसा कि हमने यहां पहले देखा है मेसर्स का शेयर प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड को अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद और इसकी जानकारी प्राप्त होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि जैसे ही जानकारी मिली कि उक्त कंपनी अपने शेयर के फर्जी सौदे में शामिल थी अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की सूचना पर बीएसई द्वारा उक्त शेयर को डिलिस्ट कर दिया गया और व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया। हमारे विचार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उस

तरीके से कार्य नहीं किया था जिससे मेसर्स के शेयर शेयर को बढ़ावा मिले। किसी गलत इरादे से प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड। उपरोक्त के अलावा उक्त शेयर में लेनदेन पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में 10 साल की देरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने राज नारायण पांडे के मामले में देखा (सुप्रा) एक लंबे समय से चले आ रहे फैसले में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने पहले ही उसके अनुसार अपना व्यवसाय व्यवस्थित कर लिया है। इन आरोपों को छोड़कर कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मेसर्स के शेयर शेयरों को सूचीबद्ध करने में ऐसे तरीके से काम किया था जो प्रतिभूति बाजार और निवेशकों के हितों के विपरीत था। ट्रेडिंग के लिए प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड उक्त शेयर को सूचीबद्ध करने में पूर्वोक्त स्टॉक एक्सचेंज की ओर से किसी भी गुप्त उद्देश्य को स्थापित करने के अलावा और कुछ नहीं है और वास्तव में उपचारात्मक उपायों के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज ने उन सभी को भी आमंत्रित किया था जिन्हें दिया गया था जाली स्क्रिपों को आगे की कार्रवाई के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जमा करना होगा।

23. उपनियमों के गैर.प्रकाशन के प्रश्न पर हम वी. वी. में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विचारों से सहमत हैं। रुइया का मामला (सुप्रा) कि चूंकि उक्त नियम और उपनियम 1956 अधिनियम के अधिनियमित होने और स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देने से बहुत पहले से अस्तित्व में थे,

इसलिए उन्हें 1956 की धारा 4 के संदर्भ में प्रकाशन की आवश्यकता नहीं थी। कार्यवाही करना। किसी भी स्थिति में जैसा कि बीएसई की ओर से श्री दीवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है मान्यता प्रदान करने के बाद नियमों और उपनियमों में किए गए सभी संशोधन राजपत्र में विधिवत प्रकाशित किए गए थे।

24. रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा बनाए गए मामले पर विचार करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि रिट याचिका जिसमें संवैधानिक चुनौती से संबंधित विवरणों की कमी थी, याचिकाकर्ता के लिए उचित उपाय नहीं थी, जो साथ में थी स्टॉक एक्सचेंज के एक सदस्य ने उपर्युक्त कंपनी के शेयरों में कारोबार किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि सेबी को की गई शिकायतों पर सेबी अधिनियम की धारा 11बी के तहत 1998-99 में ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और सेबी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कंपनी के सभी निदेशक हितेंद्र वासा सहित नकली और फर्जी शेयरों में लेनदेन करने और बड़े पैमाने पर निवेश करने वाली जनता को धोखा देने के दोषी थे। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि बाजार नियामक ने व्यक्तिगत लेनदेन के मामले में उचित कदम उठाए हैं और याचिकाकर्ता जो कंपनी के प्रमोटरों के साथ साथ उसके निदेशकों के कृत्यों से व्यथित था का समाधान होगा। अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए उपयुक्त न्यायालय से संपर्क करना। यह देखते हुए कि कोई भी व्यापक रिट जारी करना उचित नहीं होगा जैसा कि



याचिकाकर्ता ने दावा किया है जबकि उसका मामला स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से एक के शेयरों में लेनदेन तक ही सीमित था उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। ऐसा करते समय उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा बीएसई की मान्यता रद्द करने के निर्देश जारी करने या इसके नियमों उपनियमों और विनियमों को अवैध शून्य और अधिकारातीत घोषित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी।

25. उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होते हुए हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से लिस्टिंग और उसके बाद के डी लिस्टिंग के संबंध में दुर्भावना या अनियमितता का कोई मामला बनाने में सक्षम नहीं है। मेसर्स प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों की सूची और हमारा यह भी मानना है कि स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और उपनियमों का प्रकाशन प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 में नहीं किया गया था, अन्यथा कुछ अधिनियम में पूर्व मान्यता नियमों और उपनियमों के संबंध में प्रावधान किया गया होगा। जबकि अधिनियम मान्यता प्रदान करने के बाद नियमों और उपकानूनों में संशोधन के प्रकाशन का प्रावधान करता है अधिनियम पूर्व मान्यता नियमों या उपकानूनों के प्रकाशन के संबंध में चुप है जो पहले से ही अस्तित्व में थे और सभी पर कार्रवाई की गई थी।

26. इस मामले को देखते हुए हमें वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में लगाए गए बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना।

27. हालांकि अलग होने से पहले हम यह संकेत देंगे कि भले ही 1956 के अधिनियम में पूर्व मान्यता नियमों और उपकानूनों के प्रकाशन पर विचार नहीं किया गया हो लेकिन यदि संशोधित नियमों और उपकानूनों को संशोधित किया जाता है तो स्थिति अस्पष्ट बनी रहेगी। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए जबकि मुख्य नियम और उपनियम अप्रकाशित हैं। इसलिए इस विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए सवालों को भविष्य में उठाए जाने से रोकने के लिए उक्त नियमों और उपनियमों को आधिकारिक राजपत्र और राज्य राजपत्र में भी प्रकाशित करना उचित होगा।

डी.जी.

विशेष अनुमति खारीज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जयश्री मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी

अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा.